

फ़ाइल सं.19/32/2025-स्था. (ई फ़ाइल सं. 247895)

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, दिल्ली-110029

दिनांक:- 22 दिसंबर, 2025

कार्यालय आदेश

परिषद के सक्षम प्राधिकारी ने परिषद मुख्यालय/संस्थानों/केंद्रों की कार्यात्मक आवश्यकता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों का, जैसाकि प्रत्येक के सामने बताया गया है, अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण/नियुक्ति करने का निर्णय लिया है:-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	तैनाती का नया स्थान
1.	श्री सुनील बिश्रोई	आईसीएमआर-एनजेआईएल एवं ओएमडी, आगरा	आईसीएमआर-एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर
2.	श्री मिनी प्रमोद	परिषद मुख्यालय	आईसीएमआर-एनएआरएफबीआर, हैदराबाद के साथ आईसीएमआर-एनआईएन, हैदराबाद का अतिरिक्त प्रभार
3.	श्री राजवीर सिंह	आईसीएमआर-एनजेआईएल एवं ओएमडी, आगरा	परिषद मुख्यालय
4.	श्री रमेश चंद	परिषद मुख्यालय	आईसीएमआर-एनजेआईएल एवं ओएमडी, आगरा
5.	श्री अचल कुमार श्रीवास्तव	परिषद मुख्यालय के साथ आईसीएमआर-एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर का अतिरिक्त प्रभार	परिषद मुख्यालय
6.	श्री देवेंद्र सिंह	परिषद मुख्यालय के साथ आईसीएमआर-एनआईसीएचडीआर, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार	परिषद मुख्यालय
7.	कुमारी शालू कपूर	परिषद मुख्यालय के साथ	परिषद मुख्यालय

		आईसीएमआर- एनआईसीएचडीआर, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार	
--	--	--	--

2. मुख्यालय/संस्थानों/केंद्रों के संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के समय से पहले का वेतन आहरित करने की अनुमति नहीं है।

3. वर्तमान संस्थान/मुख्यालय/केंद्रों से कार्यमुक्त होने के पश्चात संबंधित अधिकारी अपने नए पदस्थापन/स्थानांतरण स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करें और अपने कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जाए।

4. श्री सुनील बिश्रोई, जिन्हें उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किया गया है, को छोड़कर अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार स्थानांतरण भत्ता, कार्यभार और पदग्रहण के समय का वेतन देय होगा।

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सभी संबंधित अधिकारी (7)

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक/दोनों अपर महानिदेशक/वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ वरि. वित्त सलाहकार, परिषद मुख्यालय के निजी सचिव।
2. आईसीएमआर-एनआईसीएचडीआर/आईसीएमआर-एनजेआईएल एवं ओएमडी, आगरा/आईसीएमआर-एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर के निदेशक/निदेशक-प्रभारी-को इस अनुरोध के साथ कि आदेश के सुचारु कार्यान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करें तथा कार्यमुक्त/पदग्रहण/कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को ईमेल (admin1.hq@icmr.gov.in) के माध्यम से भेजें।
3. प्रभाग-प्रमुख, डिलीवरी अनुसंधान, परिषद मुख्यालय।
4. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (प्रशा.) दोनों/दोनों सहायक महानिदेशक (वित्त एवं लेखा)/सहायक महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति कक्ष), परिषद मुख्यालय।
5. वितरण एवं आहरण अधिकारी/बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस सेल।
7. पीएफ/बजट फ़ाइल/गार्ड फ़ाइल।

